शिक्षा का सत्यानाश

खुद गीता भुक्कल दोषी, कड़ी कार्यवाही ज़िला शिक्षाधिकारियों पर

चंडीगढ़ (म.मो.) गत 9 वर्षों से राज्य का शिक्षा मंत्रालय घेरे बैठी गीता भुक्कल को अब जाकर नज़र आया है कि शिक्षा का बेड़ा पूरी तरह से गर्क हो गया है। यह काम कोई एक दिन में यकायक नहीं हो गया है। सरकार ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से कई बरसों में यह काम किया है।

गौर से देखा जाय तो शिक्षा मंत्री के पल्ले ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। वह केवल झंडी लगी कार में बैठ कर मन्त्री पद का आनंद तो ले सकती हैं, लेकिन कुछ कर पाने में वे पूरी तरह से मुख्यमंत्री पर निर्भर रहती हैं। कुछ कर पाने के नाम पर वे केवल शिक्षकों व ज़िला स्तर तक के अधिकारियों के तबादले ही कर सकती हैं, वह भी केवल तब जब मुख्यमंत्री या सम्बन्धित क्षेत्र का विधायक रूकावट न डाले तो।

चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में बैठने वाले उच्चाधिकारियों को शक्षा मन्त्री छू भी नहीं सकती। जिस अधिकारी को खुड्डा-लाइन लगाना हो उसे इस विभाग में तैनात कर दिया जाता है और जब उसका जुगाड़ फ़िट हो जाये तो उसको अन्यत्र मलाईदार पोस्ट पर भेज दिया जाता है। ऐसे में शिक्षा मंत्री इन उच्चाधिकारियों से क्या तो काम करवा लेगी और क्या शिक्षा स्तर को ठीक करने की कोई योजना बनवा लेगी।

स्कूलों में रिक्त होते पदों को भरने का कोई अधिकार शिक्षा मंत्री के पास नहीं है। यह अधिकार मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। वे जब चाहेंगे और जिस तरह से चाहेंगे शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उन्हें इस

गीता भुक्कल : खुश तो बहुत हैं शिक्षा की तबाही पर

बात से कोई लेना देना नहीं कि लगातार सेवानिवृत होते शिक्षकों की जगह नयी भर्ती न होने से आज 30 000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इन्हें भरने की बजाये इन पर तरह-तरह की राजनीति खेली जाती है। भर्तियां कभी ज़िला स्तर पर कराने की बात होती है तो कभी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। हुड्डा सरकार ने तो इस काम के लिये बाकायदा एक विशेष बोर्ड ही गठित कर दिया जिससे उनके चहेतों की दुकानदारी चलती रहे। यदि सरकार की नीयत साफ़ होती और वह शिक्षा के महत्व को समझ पाती तो वह एक भी पद रिक्त होने से पहले उसके लिये नई भर्ती करती। सरकार के पास प्रत्येक कर्मचारी का पूरा रिकार्ड मौजूद है, जिसमें उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख दर्ज है। तो क्यों नहीं सरकार उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सेवानिवृत्ति से पूर्व पर्याप्त भर्ती करती ?

इसके अलावा जो भर्ती किये भी जाते हैं वे गुणवत्ता पर आधारित न हो कर सिफ़ारिश, भाई-भतीजाबाद तथा रिश्वत के दम पर भर्ती होते हैं। इसका एक जीता-जागता उदाहरण चौटालों द्वारा की गयी भर्ती है जिसके लिये बाप-बेटा व अन्य जेल में पैर पीट रहे हैं। इसी सब के चलते आज राज्य भर के 60 से 70 प्रतिशत शिक्षकों का स्तर बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं है। ऐसे शिक्षक जिन्हें खुद कुछ न आता हो तो उनके पढाये हुए कैसे पार उतर सकते हैं ? स्कूलों में जो शिक्षक हैं भी उन्हें भी पढ़ाई के बजाये अन्य कामों में व्यस्त रखा जाता है। कभी चुनाव कार्य तो कभी जनगणना तो कभी पल्स पोलियों तो कभी कुछ। चुनाव कार्य तो एक स्थाई काम हो चुका है। प्रत्येक ज़िले में 20 से 40 तक शिक्षक इसी काम के नाम पर स्कूलों से गैर हाज़िर रहते हैं। कुछ तो वास्तव में ही चुनाव कार्य करते हैं तो कुछ इसकी आड़ में फ़रलो मारते हैं। कुछ शिक्षक ज़िला शिक्षाधिकारी की मिलीभगत से दफ़्तर की ड्यूटी का बहाना करके अपने निजी धंधे भी चलाते हैं।

राजनीतिक सिफ़ारिशों के चलते किसी स्कूल में तो ज़रूरत से फ़ालतू शिक्षक तैनात हो कर बैठे रहते हैं तो कुछ में पढ़ाने वाला ही कोई नहीं होता। यदि कोई कड़क व ईमानदार शिक्षाधिकारी किसी शिक्षक को ठीक समय पर स्कूल आने व पढ़ाने का दबाव डाले तो वह तुरन्त अपने राजनैतिक आकाओं की शरण में पहुंच जाता है जो उस अधिकारी को धमकाने लगते हैं। यदि कोई अधिकारी इनके तबादले कर दे तो सिधे मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के यहां धरना लग जाता है। राजनेता इन शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराने के बजाय अपना राजनैतिक हित साधने का प्रयास करते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि पढ़ाई-वढ़ाई तो होती रहती है, असली काम तो इन शिक्षकों के माध्यम से वोट बटोरना है।

यही सरकारी स्कूल, शहरी व ग्रामीण कभी बेहतरीन शिक्षा देते थे। प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम देते थे। परन्तु नालायक एवं भ्रष्ट राजनेताओं ने समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से इन स्कूलों का बंटाधार कर दिया है। ग्रामीणों की तो बात छोड़िये शहरी स्कूलों में भी अब कव्वे बोलने लगे हैं। किसी एकआध अपवाद को छोड़ कर बाकी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। जिसकी भी थोड़ी बहुत सामर्थ्य है वह अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाता है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तो बात छोड़ो वहां का चपरासी भी अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही भेजता है।

स्कूलों के अलावा स्कूल शिक्षा बोर्ड, सरकारी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों का हाल तो और भी बुरा है। जब तमाम कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है तो यह अपने दसवीं तथा बारहवीं कक्षा में प्रथम आने वालों के नाम घोषित कर रहा है, वह भी इस शर्त के साथ कि यदि दोबारा मूल्यांकन हुआ तो कोई और भी इन स्थानों पर आ सकता है। यह तो परीक्षा-परिणाम घोषित करने का तरीका है बोर्ड का।

शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल को बजाय ज़िला शिक्षाधिकारियों को दोषी मानकर केवल उन पर कार्यवाही करने की अपेक्षा, पूरे सिस्टम को सुधारने का काम करना चाहिये। लेकिन यह उनके बस का नहीं। हां शिक्षा की हुई इस दुर्गति की नैतिक ज़िम्मेवारी लेते हुए यदि वे अपने पद से त्यागपत्र देने की हिम्मत जुटा पाती तो अवश्य ही राज्य सरकार में कुछ हिलजुल होती और सिस्टम को सुधारने की शायद कोई बात हो पाती।

पैसा चुनाव जीत गया

करनाल : जे के पी के

नगर निगम चुनाव का सरकारी स्तर पर रचा गया ड्रामा 7 दिन में समाप्त हुआ। असमंजस की स्थिति में 10 दिन पहले चुनाव की घोषणा कर दी गई। साथ-साथ, उच्च न्यायालय के आदेश के कारण अनिश्चितता बनी रही कि चुनाव होंगे भी के नहीं। केवल कुछ मंजे हुये लोग ही मान कर चल रहे थे कि एक बार जरूर चुनाव होंगे, बाद में चाहे रद्द हो जायें।

करनाल नगर निगम के चुनाव में 297 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, जिनमें से अधिकांश नये खिलाड़ी थे। कुछ लोगों को बड़े नेताओं का वरदहस्त प्राप्त था तथा कुछ लोग काले धंधे के बल पर चुनाव में कुद पड़े। बाकी लोगों के पास न धन था न समय, केवल अपनी सामाजिक छवि को लेकर वे मैदान में थे। इसलिए नतीजे भी अप्रत्याशित रहे। पैसा चुनाव जीत गया और आम आदमी चुनाव हार गया। निसिंग से आये धनबली गोयल ने वार्ड 3 से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। वार्ड 12 से जाने-माने धनबली बृज गुप्ता की पत्नी रेनुबाला व वार्ड नम्बर 7 से यशपाल मित्तल ने पैसे से प्रतिद्वद्वियों को हर दिया।

मुख्यमंत्री के नजदीक माने जाने वाले जोगिन्द्र चौहान वार्ड नम्बर 20 से चुनाव जीत गये। शराब के कारोबारी कृष्ण गर्ग ने वार्ड 11 से धन बल के आधार पर कई समाज सेवियों को हरा दिया। कुछ वार्डों में प्रत्याशी आसामाजिक तत्व व पहलवाननुमा भाड़े के समर्थक बुलाकर मतदाताओं में भय पैदा कर रहे थे। प्रशासन को उक्त बातों की हर स्तर पर जानकारी थी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के चलते न तो प्रशासन के पास समय था न ही साधन, इसलिये आम आदमी धनबली व बाहुबली के डर से सहमे रहे।

नगर निगम चुनाव में धन बल का भांडा उस समय फुट गया जब मुख्य चुनाव अधिकारी व उपायुक्त करनाल रेनु फुलिया ने प्रत्याशियों व प्रशासन की एक बैठक में जोर देकर कहा कि उन्हें सब पता है कि प्रत्याशी 10 वोट के बदले एक मोटरसाइकिल या 50 वोट के पिछे एक आल्टो कार का वायदा कर रहे हैं। प्रशासन की नज़र में सभी जानकारी है कि कहां-कहां पर लोगों को डराया जा रहा है और कहां-कहां पर पैसा बहाया जा रहा है। प्रतिद्वन्द्वियों ने भी प्रशासन के सामने लिखित व मौखिक शिकायतें की, लेकिन सब कुछ बे-रोक-टोक प्रशासन की नाक तले चला।

एक तो चुनाव में पहले हि समय कम था, उपर से प्रशासन ने भी प्रत्याशियों की बार-बार मीटिंग बुला कर समय को और कम कर दिया। इसमें निश्चित हो गया था कि पैसे वाला चुनाव जीत पायेगा। गुड़गांव के कमिश्नर तरसेम लाल चुनाव पर्यवेक्षक बन कर जब करनाल पहुंचे तो एक प्रश्न ने उन्हें मौन रहने को मजबूर कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि महोदय चुनाव घोषणा होने के बाद 21 मई तक नामांकन

चुनाव प्रचार के साथ-साथ ये चर्चा भी गर्म रही कि आगामी चुनाव असंवैधानिक हैं, जिसका हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय में फैसला विचारधीन है इसके अन्तर्गत नगर निगम गठन को ही चुनौती दी गई है और ये सम्भव है कि 15 जुलाई को न्यायालय फैसला दे कि इन निगमों का नियमानुसार पुनर्गठन करे, वार्डों की संख्या निश्चित करे तथा सम्पन्न हुये चुनाव को निरस्त करे।

होना था तथा 2 जून को चुनाव निश्चित हुये और इस बीच प्रशासन व चुनाव अधिकारियों ने 21 मई को ही पंचायत भवन में बैठक बुला कर प्रत्याशियों को लगभग सांयं 5 बजे तक बैठाये रखा, न कोई जा सके न कोई प्रचार हो सका। 22 मई को छंटनी व नाम वापसी को लेकर फिर से एक बैठक बुलाई तथा प्रशासन व प्रत्याशी नाकारा आमने-सामने बैठे रहे। 23 मई को उपायुक्त कार्यालय में फिर से प्रत्यशियों की भीड़ लगी रही और लगभग सुबह 2 बजे तक कार्य चलता रहा। 24 मई को चुनाव चिन्ह आबंटित किये गये और प्रत्याशियों को 25 मई को चुनाव पर्यवेक्षक के सम्मुख उपस्थित होने को कहा गया। यह बैठक भी सायं 6 बजे तक चली पूरा प्रशासन व प्रत्याशी बैठे रहे।

जब पर्यवेक्षक महोदय से इस संवाददाता ने पूछा कि क्या ये सम्भव है कि प्रशासन व प्रत्याशी केवल बैठक कर निश्चित समय में प्रबंध व प्रचार कर पायेंगे या बस यूं ही चुनाव बंद हो जायेगा ? क्या इतने कम समय और चुनाव खर्च सीमा 1 लाख 75 हजार में ये सम्भव है ? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पैसे के दम पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने दैनिक समाचार पत्रों व स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार के लिये विज्ञापन व पेड समाचार छपवाये, लेकिन किसी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि ये चुनाव खर्च किस प्रत्याशी के खाते से आ रहा है, जबकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये खर्चा उस समाचार पत्र व प्रत्याशी को अपने रिकार्ड में दिखाना जरूरी है। चुनाव अधिकारियों के पास समय ही नहीं था कि प्रत्याशियों पर किसी तरह की रोक लगा सकें।

वार्ड नम्बर 13 के एक प्रत्याशी आनन्द शर्मा ने प्रशासन के सामने उस समय असमंजस की स्थिति पैदा कर दी जब उसने प्रशासन से नामांकन पत्र अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी में मांग लिया और देने की स्थिति में उच्च न्यायालय व चुनाव आयुक्त को अपील कर दी। प्रशासन को नोटिस भी हो गया और इस चक्कर में प्रत्याशी चुनाव लड़ने से वंचित रह गया।

दैनिक समाचारपत्रों ने समाचार छप रहे थे कि प्रत्याशियों ने बाहुबलियों व शराब के सहारे पूरे शहर में दहशत फैला रखी है। इसकी सूचना उपायुक्त कार्यालय एवं अन्य अधिकारियों को दे दी गई थी। पैसे से कमजोर प्रत्याशी अपना प्रचार करता हुआ भी डर रहा था। क्षेत्र के वोटर भी शराब व पैसा मांग रहे थे तथा शहर में ये आम चर्चा थी कि कौन प्रत्याशी क्या-क्या बांट रहा है। काले धन व ताकत का दिखावा आम नागरिक को डरा रहा था।

चुनाव प्रचार के साथ-साथ ये चर्चा भी गर्म रही कि आगामी चुनाव असंवैधानिक हैं, जिसका हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय में फैसला विचारधीन है इसके अन्तर्गत नगर निगम गठन को ही चुनौती दी गई है और ये सम्भव है कि 15 जुलाई को न्यायालय फैसला दे कि इन निगमों का नियमानुसार पुनर्गठन करे, वार्डों की संख्या निश्चित करें तथा सम्पन्न हुये चुनाव को निरस्त करे।

बेबस चुनाव अधिकारियों के पास समय इतना कम था कि कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ कर पाना भी सम्भव नहीं था, जिससे चुनाव नियमो की धज्जियां उड़ती रही, पर कहीं पर कोई धन से खेल रहा था कहीं पर डर का साया था। क्या ऐसे चुनाव को सही मान लिया जाये या इसे सरकार की साजिश करार दिया जाये ?